



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1893]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ज्येष्ठ 3, 1940

No. 1893]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/JYAISTHA 3, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2018

आय-कर

का.आ. 2088(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ.1160, तारीख 14 जून, 2016 को अधिकांत करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) के उपबंध शेयर जारी करने पर कंपनी द्वारा प्राप्त ऐसे प्रतिफल को लागू नहीं होंगे जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, यदि प्रतिफल, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी की गई भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 11 अप्रैल, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.364(अ) तारीख 11 अप्रैल, 2018 के पैरा 4 के उपपैरा (3) के खंड (i) के अधीन अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड द्वारा अनुदत्त किए गए अनुमोदन के अनुसार विनिधानकर्ता से, शेयर जारी करने पर प्राप्त किया गया है।

2. यह अधिसूचना भूतलक्षी रूप से 11 अप्रैल, 2018 से लागू होने के लिए समझा जाएगा।

[अधिसूचना सं. 24/2018/फा. सं. 370142/5/2018-टीपीएल(भाग)]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2018

INCOME-TAX

S.O. 2088(E).—In exercise of the powers conferred by the clause (ii) of the proviso to clause (viib) of sub-section (2) of section 56 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification number S.O. 1160 dated 14th June, 2016 issued by Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, the Central Government, hereby notifies that the provisions of clause (viib) of sub-section (2) of section 56 of the said Act shall not apply to consideration received by a company for issue of shares that exceeds the face value of such shares, if the consideration has been received for issue of shares from an investor in accordance with the approval granted by the Inter-Ministerial Board of Certification under clause (i) of sub-para (3) of para 4 of the notification number G.S.R. 364(E), dated 11th April, 2018 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 11th April, 2018 issued by the Department of Industrial Policy and Promotion.

2. This notification shall be deemed to have come into force retrospectively from the 11th April, 2018.

[Notification No. 24/2018/F. No.370142/5/2018-TPL (Pt)]

PRAVIN RAWAL, Director (Tax Policy and Legislation)

**RAKESH
SUKUL**

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.25
19:44:08 +05'30'